

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp-l-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेस-11/

दिनांक:- फरवरी 2014

कार्यालय आदेश

श्री वीरेश कुमार जैन, लेखाकार (लिंक नं. 5769) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भरतपुर (NRHM) में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।

निदेशक,

कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेस-11/

दिनांक:- फरवरी 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, भरतपुर
2. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को उनके पत्रांक 635 दिनांक 06.02.2014 के क्रम में।
3. अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय भरतपुर (NRHM)।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. श्री वीरेश कुमार जैन, लेखाकार (लिंक नं. 5769) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. व्यक्तिगत पंजिका।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(के. एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)